न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
खिलाड़ी .... बनाम काडूराम वगै. मु.नं.– 108/24 किस्म – दावा	
19-2-26 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.3.26 को पेश हो। (sd) **17.03.26** पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (sd) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
108/2024	06.12.2024	17.03.2026

बउनवान

1. खिलारी पुत्र जगन्या, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बनवारी पुत्र जगन्या, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..वादीगण

बनाम

1. काडूराम पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बनवारी पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. चिरंजी पुत्र गोकलराम, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री लीलाराम मीना।
2. अभिभाषक अप्रार्थीगण – श्री खेमसिंह गुर्जर।

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवादित आराजी खाता संख्या 60 के खसरा सं. 2946/2692 रकबा 1.25 हैक्टे., किस्म बंजड कुल रकबा 1.25 हैक्टे. ग्राम बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है जिसके वादीगण तन्हा काबिज खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी से अप्रार्थीगण अथवा अन्य किसी दीगर शख्स का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। वादीगण विवादित आराजी पर काबिज होकर बिना किसी विघ्न व विरोध के उपयोग उपभोग कर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का बतौर मालिक उपयोग उपभोग करने एंव लाभान्वित होने का विधिक अधिकार वादीगण को प्राप्त है। प्रतिवादीगण अथवा किसी दीगर शख्स को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि विवादित आराजी में वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा करे किन्तु दिनांक 21.08.2024 को वादीगण की उक्त विवादित आराजी में अप्रार्थीगण जबरन बल प्रयोग कर मौके पर पत्थर, बजरी आदि निर्माण सामग्री डालने व मौके पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो गये। वादीगण ने प्रतिवादी से कहा कि यह भूमि हमारे तन्हा कब्जे काश्त व खातेदारी की है, इस पर आपको निर्माण करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है तो प्रतिवादीगण व उनके मददगारान नाराज हो गये और वादीगण के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने पर आमादा हो गये। वादीगण गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो प्रतिवादी का धनबल व बाहूबल में मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, प्रतिवादीगण राजनैतिक प्रभाव व धनबल व बाहुबल वाले व्यक्ति है जो सांठ गांठ कर पुख्ता निर्माण करने पर आमादा हो रहे है व

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम निर्माण करके रहेंगे। प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसदों से बाज नही आ रहे है। यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसदो में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी सूरत में सिवाय दावा स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं होने से वादपत्र स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना लाजमी आया है। वादकरण दिनांक 21.08.2024 को प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाजायज मकसदों की पूर्ति के लिये विवादित आराजी पर जबरन पुख्ता निर्माण करने व वादीगण को उसके कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि से जबरन बेदखल करने की धमकी देने से तथा अवैध निर्माण कर दीगर व्यक्ति को रहन बय अन्तरित करने की धमकी देने से पैदा होकर वादपत्र अन्दर मियाद पेश है। विवादित आराजी न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से व पक्षकारान सकूनत न्यायालय हाजा में होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे उक्त विवादित आराजी खसरा सं. 2946/2692 में प्रतिवादी स्वयं जरिये अपने मददगारान, परिवारजन, नौकर, एजेन्ट किसी प्रकार का कोई पुख्ता या खाम निर्माण करने से वादीगण को विवादित आराजी में प्राप्त विधिक अधिकारो के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करने सदैव के लिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित रहे तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

2. वादीगण का वाद पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब दावा नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, प्रतिवादीगण न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

3. वादीगण की ओर से स्वयं वादीगण बनवारी पुत्र जगन्या एवं खिलाडी पुत्र जगन्या साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया गया तथा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2074–2077 प्रदर्श–1 की ।

4. वादपत्र पर विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार वाद पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया। स्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में प्रावधान है कि :

> ***188. दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश–*** *(1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए वाद ला सकेगा।*
>
> *(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित मामलों में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, अर्थात:–*
>
> *(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हों;*

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हो कि धनीय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो कि अतिक्रमण के लिए धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हों।

5. विवादित आराजी की जमाबंदी संवत 2074–2077 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा सं. 2946/2692 के वादीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि प्रतिवादीगण इसके रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। वाद पत्र के जरिये वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिचार किये जाने से बचाने के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खाता संख्या 60 के खसरा सं. 2946/2692 रकबा 1.25 हैक्टे., के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर
वाद पत्र सं. 108/2024 GCMS No.2024/285
खिलारी वगै. बनाम काडूराम वगै.
पर्चा डिक्री दिनांक 17.03.2026

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **खिलारी वगै. बनाम काडूराम वगै.**

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 108 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री लीलाराम मीना, एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदई तथा श्री खेमसिंह गुर्जर, एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 2946 / 2692 रकबा 1.25 हैक्टे. के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17.03..2026 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा......			बबत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)